झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक, 2018
[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

धाराएँ

भाग-एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ,

भाग-दो

२. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६, का संशोधन

भाग-तीन

३. ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०, का संशोधन

भाग-चार

४. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन

भाग-पाँच

५. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१, का संशोधन

भाग-छः

६. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्तें) अधिनियम, १९६६, का संशोधन

भाग-सात

७. कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन तथा झारखण्ड राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन

भाग-आठ

८. विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने से छूट:- झारखण्ड राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने से छूट

भाग-नौ

विविध उपबंध

९. नियम बनाने की शक्ति

१०. कठिनाईयों का दूर किया जाना,

(झारखण्ड राज्य में निम्नलिखित श्रम विधियों को संशोधित करने हेतु एक विधेयक)।

(१) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्तें) अधिनियम, १९६६

(२) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६

(३) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०

(४) औद्योगिक विवादअधिनियम, १९४७

(५) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

(६) श्रम विधि(विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थानों को छूट) अधिनियम, १९८८

(७) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१

(८) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

(९) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१

(१०) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५

(११) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२

(१२) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६

(१३) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६

(१४) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी(सेवा की शर्तें) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५

(१५) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९

(१६) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

(१७) विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी(सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६

भारत गणराज्य के ६८ वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:-

भाग-एक

प्रारंभिक

१. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**

(i) यह विधेयक झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०१८ कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

भाग-दो

(२) **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६, का संशोधन**

(१) मूल अधिनियम की धारा-७ में उपधारा (३) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतर्स्थापित की जाएगी, अथार्त:-

"(३)(क) -यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के संबंध में प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकरण कर दिया समझा जायेगा।"

भाग-तीन

(३) **ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०, का संशोधन**

(१) मूल अधिनियम में धारा ७ की उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतर्स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

"(३) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में आक्षेप करने या संशोधन करने का आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जायेगा।"

(२)धारा-१३ की उपधारा(३) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

"(४) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, उस स्थापन के संबंध में, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, यदि अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में या आक्षेप करने या उसे नवीकृत करने या संशोधित करने का कोई आदेश देने में असफल रहता है, तो ठेकेदार को सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गयी समझी जायेगी।"

भाग-चार

(४) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन

(१) मूल अधिनियम की धारा-४ में उपधारा (३) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

" परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से ऐसी कालावधि जैसा कि विहित किया जाय के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब रजिस्ट्रीकरण सम्यक रूप से कर दिया गया समझा जायेगा।

भाग-पाँच

(५) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१. का संशोधन

(१) मूल अधिनियम में धारा-३ में उपधारा (२) में पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जायेगा तथा उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात :-

" परन्तु यदि विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से, ऐसी कालावधि जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक रूप से कर दिया समझा जायेगा।

भाग-छ:

(६) बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्तें) अधिनियम, १९६६ का संशोधन

(१) मूल अधिनियम में धारा ४ में उपधारा(८) के उपरान्त निम्नलिखित उपधारा अंतर्स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

(९) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर यदि अनुज्ञापन पदाधिकारी, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से ऐसी कालावधि, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या मंजूर करने,आक्षेप करने या कोई आदेश देने में असफल रहता है तो सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गयी समझी जायेगी।

भाग-सात

(७) कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन तथा झारखण्ड राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन,

(१) निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात :-

(१)बीड़ी एवं सिगार कर्मकार(नियोजन की शर्तें) अधिनियम, १९६६

(२) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, १९९६

(२) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०

(३) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७

(४) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६

(५) श्रम विधि(विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थानों को छूट) अधिनियम, १९८८

(६) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१

(७) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

(८) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१

(९) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५

(१०) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२

(११) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६

(१२) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६

(१३) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी(सेवा की शर्तें) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९५५

(१४) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९

(१५) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

(१६) विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी(सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६

मैं अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(क) इन अधिनियमों के अधीन कारित किये गये या पूर्व में कारित केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध का, यदि कोई हो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात जुर्माने की अधिकतम राशि से अनधिक किन्तु अपराध के लिये अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल कर के जैसे की वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा,

(ख) इन अधिनियमों के अंतर्गत कारित किये गए जुर्माने तथा दो वर्ष के कारावास तक से दण्डनीय अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात, एक माह तक के कारावास के लिये न्यूनतम

रूपये १०,००० के अध्ययीन रहते हुये अधिकतम जुर्माने की १० गुणा के बराबर राशि, दो माह तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये २०,०००, तीन माह तक के लिये कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये ३०,०००, ६ माह तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये ६०,०००, एक वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये १,००००० तथा दो वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिये रूपये २००००० की वसूली कर प्रशमन कर सकेगा।

(२) अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा जबकि,

(१) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व, इस प्रकार का प्रशमन हो जाने पर अपराधी अभियोजन का भागी नहीं होगा यदि वह अभिरक्षा में है तो मुक्त कर दिया जायेगा।

(२) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात इस प्रकार का प्रशमन हो जाने पर प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी उन्मोचित हो जायेगा।

भाग-आठ

८. विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियाँ प्रस्तुत किए जाने से छूट:-

निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात :-

(१) ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, १९७०

(२) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६

(३) कारख़ाना अधिनियम, १९४८

(४) औधोगिक विवाद अधिनियम, १९४७

(५) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार(नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्त) अधिनियम, १९७९

(६) श्रम विधि(विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थानों को छूट) अधिनियम, १९८८

(७) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१

(८) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

(९) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१

(१०) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५

(११) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२

(१२) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६

(१३) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६

राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनयमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित प्रारूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापना द्वारा पंजियाँ तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियाँ प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप बना सकेगी अथवा अधिसूचित कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल फार्मेट में पंजियाँ और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

भाग-नौ

प्रकीर्ण उपबंध

९. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी,

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात यथा शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

१०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उदभूत होती है तो राज्य सरकार, कठिनाइयों को दूर राजपत्र में प्रकाशित संधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों,

(२)उपधारा(१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

यह विधेयक झारखण्ड श्रम विधियाँ (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 53 50 10 8 2018